

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल-67/2026- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० पूजा कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री एवं प्रसूति रोग), अनुमंडलीय अस्पताल, बगहा, प० चम्पारण के द्वारा द्वितीय संतान के प्रसव हेतु दिनांक-07.09.2025 से 05.03.2026 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिन का उपभोगित अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-


(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल-67/2026- 1081(2) पटना, दिनांक 21/5/2026

प्रतिलिपि: महालेख/कार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, प० चम्पारण/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, बगहा, प० चम्पारण/कोषागार पदाधिकारी, प० चम्पारण/डा० पूजा कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री एवं प्रसूति रोग), अनुमंडलीय अस्पताल, बगहा, प० चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव
ds